न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— सुश्री प्रियंका कडेला आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 117 / 2019

वादीनी बनाम प्रतिवादीगण

1 चिमूदेवी पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाडमेर।

1 सगतसिंह 2 कूम्पसिंह पिसरान धनणसिंह 3 मूलसिंह 4 लखसिंह 5 नारायणसिंह 6 शैतानसिंह पिसरान भूरसिंह 7 देवीकंवर पत्नी स्व. भूरसिंह 8 पनेसहिं पुत्र भारतसिंह 9 हरीसिंह 10 सांवलसिंह 11 सोनसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह 12 केलमकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह 13 गेमरसिंह 14 पदमसिंह 15 रावतसिंह 16 पैलादसिंह पिसरान तगसिंह 17 गणपतसिंह 18 हिन्दुसिंह 19 तनसिंह 20 नरसिंह पिसरान करनसिंह 21 अणदकंवर पत्नी करनसिंह 22 अजा पुत्र भवरसिंह 23 सगतसिंह पुत्र खीमसिंह 24 सवाईसिंह 25 भाखरसिंह 26 बाबूसिंह पिसरान सांगसिंह 27 देवीकंवर पत्नी सांगसिंह 28 गंगासिंह 29 प्रतापसिंह पिसरान खीमसिंह जाति राजपूत निवासी सुरा चारणान 30 मालूदेवी पत्नी हंजारीराम जाति जाट 31 पेमलदेवी पत्नी मेघाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद 32 पारूदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी चौखाणियों की ढाणी, नांद तहसील बाडमेर 33 छगनीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी पूनियों का तला तहसील गुडामालानी 34 नखताराम 35 नवलाराम 36 छगनलाल पिसरान पेमाराम 37 मगाराम पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी सुरा तहसील व जिला बाडमेर 38 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील वादीनी पक्ष।

2. श्री रतनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 31।

3. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 32।

निर्णय

दिनांक 03/06/2025

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 37 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 33 का संयुक्त रूप से 8/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 34 से 37 का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। वादीनी इस आराजी की क्रेता सहखातेदार है। वादीनी ने इस भूमि के संयुक्त खातेदार अन्नेकंवर, कुमारी शान्ति, करणसिंह, गुलाबसिंह, छुगसिंह प्रत्येक का 8/9 हिस्सा में 1/24 हिस्सा रावतसिंह, दरियाकंवर, पूनमसिंह, रतनसिंह प्रत्येक का 8/9 हिस्सा में 1/6 हिस्सा व हमीरसिंह, गोविन्दसिंह उर्फ नाथूसिंह प्रत्येक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

का 8/9 हिस्सा में 1/36 हिस्सा समस्त रकबा 119.06 बीघा पंजीबद्ध बेचान से दिनांक 20.07.2009 को क्रय कर शेष सहखातेदार की सहमति से कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार खसरा संख्या 288 में 119.06 बीघा पर बहैसियत खातेदार कृषक के रूप में कब्जा काश्त वादीनी का चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी की अविभाजित भूमि है। इसी अनुसार पक्षकारान का वादग्रस्त खेतों पर कब्जा काश्त है। मौके पर विधिवत बंटवाड़ा नही होने के कारण काश्त करने में उभय पक्षों में विवाद तथा तनाव रहता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि होने से प्रतिवादीगण उसका फायदा उठाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन करने में आमदा है तथा बिना भूमि का विभाजन करवाये मौके की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक होता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 37 संयुक्त खातेदारी की भूमि का फायदा उठाकर अजनबी व्यक्तियों को विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना बेचान करने पर उतारू है तथा वादी के हिस्से व काश्त में जबरन दखलन्दाजी कर रहे है। वादीनी मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि में वादीनी का 2386/8444 रकबा 119.06 बीघा भूमि अनुसार तथा कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने का अधिकारी है। लिहाजा मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि में वादीनी का 2386/8444 रकबा 119.06 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा अनुसार तथा कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने के आदेश फरमावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 32 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि में हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। वादीनी के साथ प्रतिवादी संख्या 32 का भी 8/9 हिस्सा में से 1/12 हिस्सा खातेदारी का आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 32 का मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि में से 8/9 हिस्सा में से 1/12 हिस्सा अर्थात 31.05 बीघा भूमि खातेदारी में घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा अनुसार तथा कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने के आदेश फरमावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 33 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि में हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। वादीनी के साथ प्रतिवादी संख्या 33 का भी 8/9 हिस्सा में से 25.00 बीघा भूमि खातेदारी अधिकारों की आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 33 का मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि में से 8/9 हिस्सा में से 25.00 बीघा भूमि खातेदारी में घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा अनुसार तथा कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड भूमि विभाजन करवाने के आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

उक्त वाद में बाद समूचित सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 16.01.2023 को पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1231 दिनांक 15.05.2025 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। लिहाजा वादीनी का वाद एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 288 रकबा 422.04 बीघा भूमि में वादीनी का 2386/8444 रकबा 119.06 बीघा भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	पारूदेवी पत्नी खेताराम कौम जाट सा. देह	288	5.0624	बा.सो.	1.6222	पीला
2	चिमू पत्नी हरूराम हिस्सा 1199/1449 रहन हिस्सा पूर्ण आरएमजीबी शाखा बिशाला छगनीदेवी पत्नी अचलाराम हिस्सा 250/1449 जाति जाट सा. देह खातेदार	288	23.4559	बा.सो.	7.2738	हरा
3	अचनकंवर पत्नी सवाईसिंह हिस्सा 2/755 अजा पुत्र भवरसिंह 15/472 अणदुकंवर पत्नी करना हिस्सा 3/472 कूम्पसिंह पुत्र चंदनसिंह 15/472 केलम पत्नी पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/944 गंगसिंह पुत्र खीमसिंह हिस्सा 15/472 गणपतसिंह पुत्र करना हिस्सा 3/472 गेमरसिंह पुत्र तगसिंह हिस्सा 3/236 गंवरी कंवर पत्नी प्रतापसिंह हिस्सा 3/755 तनेसिंह पुत्र करना हिस्सा 3/472 नरसिंह पुत्र करणसिंह 3/472 पदमसिंह पुत्र तगसिंह हिस्सा 3/236 पनेसिंह पुत्र भारतसिंह 3/118 पैलादसिंह पुत्र तगसिंह हिस्सा 3/236 बाबूसिंह पुत्र सांगसिंह हिस्सा 5/472 रहन हिस्सा पूर्ण एसबीआई भादरेश भवनसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा हिस्सा 2/755 भाखरसिंह पुत्र सांगसिंह हिस्सा 5/472 भोजराज पुत्र सांगसिंह हिस्सा 5/472	288	39.8249	बा.सो.	12.2940	केसरी

(सिविल न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर)

	भोजराज पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 3/755 भोमसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 3/755 भोमसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 32/755 हिस्सा 2/755 मदनसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 3/755 मेवसिंह पुत्र प्रतापसिंह 3/755 महेशसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 2/755 ना.बा. माधुसिंह पुत्र प्रतापसिंह संरक्षक गवरीकंवर हिस्सा 3/755 रावतसिंह तगसिंह हिस्सा 3/236 वीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 3/755 सगतसिंह पुत्र खीमसिंह 15/472 सगतसिंह पुत्र चंदनसिंह 15/472 ना.बा. सुमेरसिंह पुत्र प्रतापसिंह संरक्षक गवरीकंवर हिस्सा 3/755 सांवलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/944 हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 65/974 सोनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/944 हिन्दूसिंह पुत्र करना हिस्सा 3/472 जाति राजपूत उम्मेदाराम पुत्र मांगाराम हिस्सा 23/965 रहन हिस्सा पूर्ण एसबीआई भादरेश कमलाराम पुत्र मांगाराम हिस्सा 23/965 खरथाराम पुत्र अगराराम हिस्सा 7/881 रहन हिस्सा पूर्ण एसबीआई भादरेश छगनलाल पुत्र पेमाराम हिस्सा 15/472 नखताराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 15/472 नवलाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 15/472 पदमो पत्नी अगराराम हिस्सा 7/881 पेम्पोदेवी पत्नी मांगाराम हिस्सा 23/965 सवाईराम पुत्र अगराराम हिस्सा 7/881 रहन हिस्सा पूर्ण एसबीआई भादरेश जाति मेघवाल पेमलादेवी पत्नी मेघाराम हिस्सा 15/59 रहन हिस्सा पूर्ण आरएमजीबी मालूदेवी पत्नी हंजारीराम हिस्सा 5/59 जाति जाट रहन हिस्सा आरएमजीबी शाखा बिशाला सुमित्रा पत्नी प्रकाशचन्द हिस्सा 15/236 जाति जैन खातेदार					

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(प्रियंका कड़ेला)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर